न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिवाना

पीठासीन अधिकारी :- श्री अन्जुम ताहिर सम्मा, आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी सिवाना

मु.न. 09/2016

प्रार्थीगण

1. सवाईसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत
2. लीलादेवी पत्नी जीवाराम जाति माली
3. प्रभूराम पुत्र अणदाराम जाति माली
4. बुधाराम पुत्र अणदाराम जाति माली
5. चूनीदेवी पत्नी लालाराम जाति माली

निवासीगण सिवाना तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. खीमाराम पुत्र ताराजी जाति सुथार
2. स्व.हरकाराम पुत्र प्रतापराम सुथार के कायम मुकाम:-

2/1 केवलचन्द पुत्र हरकाराम सुथार

2/2 गुलाबचन्द पुत्र हरकाराम सुथार

2/3 कुन्दनमल पुत्र हरकाराम सुथार

2/4 सुमेरमल पुत्र हरकाराम सुथार

2/5 रामूदेवी पत्नी हरकाराम सुथार

2/6 छटकी पुत्री हरकाराम सुथार

2/7 उदी पुत्री हरकाराम सुथार

3. मीठालाल पुत्र बंशीलाल सुथार
4. ललितकुमार पुत्र चम्पालाल जाति जैन
5. स्व.हंजारीमल पुत्र रूगाराम जाति सुथार के कायम मुकाम:-

5/1 मोहनलाल पुत्र हंजारीमल जाति सुथार

5/2 जेवरीलाल पुत्र हंजारीमल जाति सुथार

5/3 उदीदेवी पत्नी हंजारीमल जाति सुथार

6. स्व.भीमाराम पुत्र रूगाराम जाति सुथार के कायम मुकाम:-

6/1 जुगताराम पुत्र भीमाराम जाति सुथार

6/2 मदनलाल पुत्र भीमाराम जाति सुथार

6/3 लादूराम पुत्र भीमाराम जाति सुथार

6/4 रमेश कुमार पुत्र भीमाराम जाति सुथार

6/5 कमला पुत्री भीमाराम जाति सुथार

6/6 जेठकी पुत्री भीमाराम जाति सुथार

7. घेवरराम पुत्र रूगाराम जाति सुथार
8. पन्नाराम पुत्र रूगाराम जाति सुथार
9. अम्बाराम पुत्र ताराजी सुथार
10. मोहनलाल पुत्र ताराजी सुथार
11. सुरेश कुमार पुत्र ताराजी सुथार
12. जितेन्द्र कुमार पुत्र जोगजी जाति सुथार

...ड अधिकारी
...ना (बाड़मेर)

13. खेताराम पुत्र जोगजी जाति सुथार

14. रेशमीदेवी बेवा जोगजी जाति सुथार

निवासीगण सिवाना तहसील सिवाना जिला बाडमेर

15. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एडीबी शाखा सिवाना

16. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम कायम करवाने बाबत् रास्ता

उपस्थित :– 1. **श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **श्री कपिल श्रीमाली अधिवक्ता विप्रार्थीगण**

–: आदेश :–

दिनांक :– 18/02/19

प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए का प्रस्तुत किया प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा सिवाना पटवार मण्डल सिवाना तहसील सिवाना में स्थित खसरा नम्बर 1337/27,1335/30,26 रकबा क्रमशः 04. 08, 07.01, 18.14 बीघा किस्म बारानी दोयम स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के आवगमन का एक मात्र रास्ता प्रार्थीगण के खेत के बदिशा दक्षिणी पूर्व में स्थित में विप्रार्थीगण की खातेदारी के सरहद मौजा सिवाना के खेत खसरा नम्बर क्रमशः47,44,43 व 2221/94 तथा सरहद मौजा पादरडी के खसरा संख्या 139 व 137 की भूमि के माठ माठ से होते हुए आगे राजस्व कटाण सडक मार्ग तक जाया जाता है। प्रार्थीगण के खेत मे आवगमन के रास्ता सुस्पष्ट करने हेतु संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" पेश किया है जिससे मार्क ए से बी बरंग लाल रास्ता जो प्रार्थीगण के खेत से राजस्व सडक मार्ग से 800 मीटर दूर है से आवगमन करते है यह मार्ग विगत पीढीयो से सुचारू रूप से खुला है उक्त बरंग लाल रास्ते पर आवगमन के बाबत विप्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी ने कभी कोई आपत्ति नही की लेकिन समय का अन्तर आ जाने के कारण विप्रार्थी संख्या 6 व 7 द्वारा अपने खसरा संख्या 137 में मौके पर विरोध पैदा करने हेतु आमादा हुए तथा इसी रास्ते मार्क ए से बी बरंग लाल से प्रार्थीगण अपने ट्रेक्टर, हल, कृषि औजार को लाने ले जाने तथा आवगमन करते रहे है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" बरंग लाल रास्ता ही प्रार्थीगण के खेत में आवगमन का एक मात्र सडक मार्ग से सबसे नजदीकी रास्ता हैं, उक्त रास्ता मौके पर चालू हालात यथावत चल रहा है उक्त रास्ता मौके पर चालू हालात यथावत चल रहा है संलग्न परिशिष्ट 'अ' बरंग लाल 12 फीट चौडा रास्ता को कटाण मार्ग घोषित

...कारी
...सिवाना (बाड़मेर)

करने के आदेश प्रदान करावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई

तहसीलदार सिवाना द्वारा अपने पत्रांक राजस्व/2018/516 दिनांक 13.04.18 के द्वारा प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

विप्रार्थीगण 6/1 ता 6/4 व 7 की ओर से वकील श्री कपिल श्रीमाली द्वारा जबाब मय फोटो ग्राफ प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि खसरा संख्या 34 में से रास्ता मौजूद है जो तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी दर्शाया गया है तथा वैकल्पिक रास्ता होने से प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी । दौरान बहस प्रार्थी वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खेत में आवगमन हेतु प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट अ अनुसार रास्ता घोषित किया जावे साथ ही प्रार्थी वकील ने निवेदन किया कि उक्त रास्ता ही पीढीयो से चल रहा है इस बात ही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण ने सन् 2001 में आपस में लिखत कर उक्त रास्ता को कटाण घोषित करवाने हेतु सहमति दी थी जो लिखत पत्रावली में मौजूद है एवं तहसीलदार सिवाना का जबाब दिनांक 15.06.2016 को भी उक्त रास्ता को कटाण घोषित करते हुये अनापत्ति जाहिर की एवं वकील प्रार्थी ने यह भी निवेदन किया कि जहां तक पीढियो पुराना रास्ता चल रहा है तथा मौका रिपोर्ट अनुसार भी खसरा संख्या 137 तक रास्ता निरन्तर आज रोज भी चल रहा है मात्र खसरा संख्या 137 के खातेदार ने ही बन्द किया है तथा खसरा संख्या 139,44 व 47 ने लिखित में उक्त रास्ता को कटाण घोषित करवाने हेतु सहमति भी दी है ऐसी सूरत में उक्त रास्ता कटाण घोषित किया जावे।

वकील विप्रार्थी ने दौरान बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता खसरा संख्या 137 में न होकर खसरा संख्या 35 में चल रहा है ऐसी स्थिति में रास्ता का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अध्ययन व मनन किया तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट को अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण के खेत में आने -जाने हेतु कोई कटाण रास्ता नहीं होना बताया प्रार्थीगण ने खेत सरहद मौजा सिवाना पटवार मण्डल सिवाना तहसील सिवाना में स्थित खसरा नम्बर 1337/27,1335/30,26 में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत सरहद मौजा सिवाना के खेत खसरा नम्बर क्रमशः47. 44. 43 व

...अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

2221/94 तथा सरहद मौजा पादरडी के खसरा संख्या 139 व 137 की माढ पर 12 फीट चौडा रास्ता की मांग की है। हालांकि तहसीलदार सिवाना की रिपोर्ट में खसरा संख्या 35 व 27 मे से रास्ता नजदीक होने का कथन किया है जबकि लिखत के अनुसार प्रस्तावित रास्ता ही पीढियो पुराना होना प्रतीत होता है जो खसरा संख्या 137 तक विद्यमान है तथा खसरा संख्या 137 में ही बन्द है व पुनः खसरा संख्या 43 के खातेदार द्वारा उक्त रास्ता देने की सहमति दी है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

प्रार्थीगण के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थीगण की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए बिन्दू से ए से बी विप्रार्थीगण के खेत सरहद मौजा सिवाना के खसरा नम्बर क्रमशः47, 44, 43 व 2221/94 तथा सरहद मौजा पादरडी के खसरा संख्या 139 व 137 मे से होकर राजस्व कटाण सडक तक रास्ता घोषित किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए रा.का.अ. स्वीकार किया जाकर सरहद सिवाना मे प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1337/27,1335/30,26 में आवगमन हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत सरहद मौजा सिवाना के खसरा नम्बर क्रमशः47,44,43 व 2221/94 तथा सरहद मौजा पादरडी के खसरा संख्या 139 व 137 के माठ पर तहसीलदार सिवाना द्वारा दिनांक नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क ए से बी बरंग लाल प्रस्तावित रास्ता 12 फीट चौडाई में रास्ता घोषित किया जाता है।

प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार 12 फीट चौडाई में 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

प्रार्थीगण द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में कितनी राशि का भुगतान विप्रार्थीगण को किया जाएगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है,और अगर कोई अन्य पेड, फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो अध्याय 12 नियम 70(2) के अन्तगर्त उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि 2 गट्ठा चौडाई में रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC

अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना कर तहसीलदार सिवाना क्षतिपूर्ति का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी। DLC द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचालित दर की दो गुणा राशि के बराबर होगी।

प्रार्थीगण को नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार सिवाना द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमाकंन तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा, अगर प्रभावित पक्षकर उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार सिवाना को प्रस्तुत की जाएगी, जिसे तहसीलदार सिवाना द्वारा विप्रार्थीगण प्रभावित पक्षकार को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी। नये 12 फीट चौडाई के रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी।

पक्षकारन को इस प्रकार दर्ज 12 फीट चौडे रास्ते के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नया 12 फीट चौडाई में रास्ता तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित नजरी नक्शा परिशिष्ट अ में बरंग लाल बिन्दू ए से बी तक दर्शाये अनुसार रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी हो।

(अन्जुम ताहिर सम्मा)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 18/02/19 लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

(अन्जुम ताहिर सम्मा)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)